2020 का विधेयक सं.1

डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2020

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2002 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की धारा 24 का संशोधन.- डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम सं. 15), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 24 की उप-धारा (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति "किसी समकक्ष पद पर दस वर्ष का अनुभव रखने वाला" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "कोई प्रख्यात शिक्षाविद् नहीं हो।" से पूर्व, अभिव्यक्ति "और सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिक आचार और संस्थानिक प्रतिबद्धता के उच्चतम स्तर वाला" अंत:स्थापित की जायेगी।

3. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 में नयी धारा 24क का अंत:स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 24 के पश्चात् और विद्यमान धारा 25 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"**24क. कुलपति का हटाया जाना.-** (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार की रिपोर्ट पर या अन्यथा यदि किसी भी समय, कुलाधिपति की राय में, कुलपति इस अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन करने में जानबूझकर लोप या इंकार करता है या उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है, या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत होता है कि कुलपति का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हित के लिए हानिकर है तो कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह उचित समझे, आदेश द्वारा, कुलपति को हटा सकेगा:

परन्तु कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, ऐसा आदेश करने से पूर्व जांच लम्बित रहने के दौरान, कुलपति को किसी भी समय निलंबित कर सकेगा:

परन्तु यह और कि कुलाधिपति द्वारा कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि कुलपति को उसके विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया हो।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी जांच के लंबित रहने के दौरान या उसको ध्यान में रखते हुए कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, यह आदेश दे सकेगा कि अगले आदेश तक-

(क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कृत्यों का पालन करने से विरत रहेगा, किन्तु वह उन परिलब्धियों को प्राप्त करता रहेगा जिनका वह अन्यथा हकदार था;

(ख) कुलपति के पद के कृत्यों का पालन आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कुलपति के पद के लिए अवधारित न्यूनतम अर्हताओं और अनुभव के मुख्य उपबंध विश्वविद्यालयों की विधियों में 2017 में सम्मिलित किये जा चुके हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 2018 में भी विनियम जारी किये हैं। कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति द्वारा सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिक आचार और संस्थानिक प्रतिबद्धता के उच्चतम स्तर को धारित करने के संबंध में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु उपाय) संबंधी विनियम, 2018 के खण्ड 7.3 को प्रभावी करने के लिए, इससे संबंधित उपबंध को सम्मिलित करना समुचित समझा गया है। इसके अतिरिक्त, यदि किसी अभूतपूर्व स्थिति में कुलपति को उसकी पदावधि की समाप्ति से पूर्व हटाया जाना आवश्यक हो तो डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2002 में उसको हटाये जाने के लिए कोई उपबंध नहीं है। इसलिए, कुलपति को हटाये जाने से संबंधित उपबंध को भी सम्मिलित किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार, डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2002 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

रघु शर्मा
प्रभारी मंत्री।

डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम सं. 15) से लिये गये उद्धरण

xx xx xx xx xx

24. कुलपति.- (1) xx xx xx xx xx

(2) कोई भी व्यक्ति कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में आयुर्वेद के क्षेत्र में आचार्य के रूप में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाला या किसी भी प्रतिष्ठित शोध और/या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में किसी समकक्ष पद पर दस वर्ष का अनुभव रखने वाला कोई प्रख्यात शिक्षाविद् नहीं हो।

(3) से (16) xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx

Bill No.1 of 2020

(Authorised English Translation)

THE DR. SARVEPALLI RADHAKRISHNAN RAJASTHAN AYURVED UNIVERSITY, JODHPUR (AMENDMENT) BILL, 2020

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur Act, 2002.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventieth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur (Amendment) Act, 2020.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 24, Rajasthan Act No. 15 of 2002.- In sub-section (2) of section 24 of the Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur Act, 2002 (Act No. 15 of 2002), hereinafter referred to as the principal Act, after the existing expression "administrative organization" and before the existing punctuation mark "." appearing at the end, the expression "and, of highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment" shall be inserted.

3. Insertion of new section 24A, Rajasthan Act No. 15 of 2002.- After the existing section 24 and before the existing section 25 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

> **"24A. Removal of Vice-Chancellor.-** (1) Notwithstanding anything contained in the Act, if at any time on the report of the State Government or otherwise, in the opinion of the Chancellor, the Vice-Chancellor wilfully omits or refuses to carry

out the provisions of this Act or abuses the powers vested in him, or if otherwise appears to the Chancellor that the continuance of the Vice-Chancellor in office is detrimental to the interest of the University, the Chancellor may, in consultation with the State Government, after making such inquiry as he deems proper, by order, remove the Vice-Chancellor:

Provided that the Chancellor may, in consultation with the State Government, at any time before making such order, place the Vice-Chancellor under suspension, pending enquiry:

Provided further that no order shall be made by the Chancellor unless the Vice-Chancellor has been given a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken against him.

(2) During the pendency or in contemplation, of any inquiry referred to in sub-section (1) the Chancellor may, in consultation with the State Government, order that till further order-

(a) such Vice-Chancellor shall refrain from performing the functions of the office of the Vice-Chancellor, but shall continue to get the emoluments to which he was otherwise entitled;
(b) the functions of the office of the Vice-Chancellor shall be performed by the person specified in the order.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The major provisions of minimum qualifications and experience determined by the University Grants Commission for the post of Vice-Chancellor have been incorporated in the Universities' Laws in 2017.

The University Grants Commission has also issued regulations in 2018. In order to give effect to clause 7.3 of the University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) Regulations, 2018 regarding possession of highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment by a person to be appointed as Vice-Chancellor, it is considered appropriate to incorporate the provision relating thereto. Moreover, there is no provision for removal of Vice-Chancellor in the Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur Act, 2002 if any unprecedented condition warrants it before the end of his tenure. Therefore, provision relating to removal of Vice-Chancellor is also required to be included. Accordingly, the Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur Act, 2002 is proposed to be amended.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

रघु शर्मा
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE DR. SARVEPALLI RADHAKRISHNAN RAJASTHAN AYURVED UNIVERSITY, JODHPUR ACT, 2002

(ACT NO. 15 OF 2002)

XX XX XX XX XX XX XX

24. Vice-Chancellor.- (1) XX XX XX XX XX

(2) No person shall be eligible to be appointed as Vice-Chancellor unless he is a distinguished academician in the field of Ayurved having a minimum of ten years experience as Professor in a University or college or ten years experience in an equivalent position in a reputed research and/or academic administrative organization.

(3) to (16) XX XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX XX XX

2020 का विधेयक सं. 1

डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2020

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2002 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव।

(रघु शर्मा, प्रभारी मंत्री)

Bill No. 1 of 2020

THE DR. SARVEPALLI RADHAKRISHNAN RAJASTHAN AYURVED UNIVERSITY, JODHPUR (AMENDMENT) BILL, 2020

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

_____

A

Bill

further to amend the Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur Act, 2002.

_____

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

_____

Pramil kumar Mathur,
Secretary.

(**Raghu Sharma**, **Minister-Incharge**)